न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 47/21 निर्णय दिनांकः–22.09.2023
(आरसीएमएस संख्या 2021/00095)

1. गणपतराम पुत्र श्यामाराम जाति जाट निवासी खोखराना तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–03–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री मोहनलाल गोदारा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 25–03–2008 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा बिना सूचना के अन्य को आवंटित कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने बतौर विशेष आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष दिनांक 30–08–2007 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 25–03–2008 को आवंटन का पात्र धोषित करते हुए चक 2–3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 40/21 के किला नम्बर 2 ता 4, 6 ता 25 कुल तादादी 23 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त अपीलांट् के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आराजी जैर के कब्जा प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत द्वारा समय–समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन बिना सूचना के व नोटिस दिये अपीलांट को आवंटित रकबा अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है क्योंकि अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना व अपीलांट् के आवंटन के बावजूद अपीलांट् के आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित की गई है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। चूंकि अपीलांट् द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि की एव जमें 20 प्रतिशत राशि जम करवाई जा चुकी है। अपीलांट् की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 09–02–2021 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अब

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09–02–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन श्रेणी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 25–03–2008 को चक 2–3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 40/21 के किला नम्बर 2 ता 4, 6 ता 25 तादादी 23 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा निर्धारित राशि 92000/– की 20 प्रतिशत राशि 18400/– जरिये चालान संख्या 444 दिनांक 25–03–2008 को जमा करवाने के पश्चात् अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अपीलांट के आवंटन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा अपीलांट से बकाया राशि जमा करवाने के बजाय अपीलांट् को विधि सम्मत तरीके से आवंटित की भूमि का आवंटन अन्य दिगर व्यक्तियों सुमेर सिंह, उदय सिंह, विक्रम सिंह पिसरान भीम सिंह आदि को व अनुराधाा केंवर पत्नि ओंकारसिंह आदि को कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना कि उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट को आवंटित भूमि थी, वादग्रस्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्तियों को किया गया है। इसलिए अपीलांट का आवंटन डबल आवंटन की श्रेणी में आता है। अपीलांट को आज तक आवंटित भूमि का कब्जा डबल आवंटन होने के कारण प्राप्त नही हुआ है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि पाने का हकदार है। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि बाद में अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अपीलांट को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 ता 3 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता सही पाये जाने पर समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.9.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर